

अनुमति-पत्र

दिनांक २२.१०.१९

गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

मुहर

23/13 गृह राठ
विभागाध्यक्ष

7- यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विध्वंश कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।

स्वीकृत मानचित्र का विवरण 10792.60
 1) भू-खण्ड का कुल क्षेत्रफल ~~9971.39~~ 9971.39 वर्गमीटर
 2) भू-उपयोग आवासीय
 3) मार्गाधिकार का क्षेत्रफल 821.26 चौड़ाई
 4) वास्तविक भू-खण्ड का क्षेत्रफल 9971.39 वर्गमीटर
 5) तलों की संख्या B+G+16 ऊँचाई-49.30 मीटर
 6) सेटबैक-फन्ट 14.00 मी
 7) गिर 14.00
 8) डेड-1 14.00
 9) 2 14.00

शर्तें—

1. स्थल पर एक बोर्ड लगाना होगा, जिसपर स्वीकृत संबंधित विवरण अंकित होगा।
2. टैरेस के 25 प्रतिशत भाग पर फोटो बोल्टाइक सोलर पैनल को स्थापित करना होगा।
पैसेज ग्रीन एरिया, स्ट्रीट लाइट आदि में प्रकाश हेतु कनेक्शन देना होगा। 4. रेन वाटर हार्वेस्टिंगका कार्य वाटर ग्राउण्ड बोर्ड से ड्राइंग की पुष्टि कराकर पूर्ण कराने की जिम्मेदारी होगी। कार्य मानक के अनुसार होने का प्रमाण पत्र आर्किटेक्ट को देना होगा।
3. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी के द्वारा जारी एन0ओ0सी0 में अंकित प्रतिबन्ध का पालन करना होगा।
4. भूकम्परोधी स्ट्रक्चरल ड्राइंग एवं डिजाइन को आई0 आई0 टी0 रुड़की विश्वविद्यालय अथवा निर्दिष्ट तकनीकी संस्थान के स्ट्रक्चरल प्राफेसर से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर कदो माह में प्रस्तुत करने के पश्चात निर्माण प्रारम्भ किया जायेगा। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. भूस्वामित्व पर विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतःनिरस्त माना जायेगा।
6. स्वीकृत मानचित्र की छायाप्रति पक्ष को निर्माणाधीन स्थल पर रखना होगा, ताकि मौके पर कभी भी जाँचकर स्थलीय निर्माण का मिलान स्वीकृत मानचित्र से किया जा सके।
7. शपथ पत्र में दिये गये शर्तों का अनुपालन करना होगा।
8. पक्ष को एन0 जी0 टी0 के संलग्न नियमों का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा।
9. कूड़ा निस्तारण हेतु डस्टविन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी आवेदकगण की होगी।
10. भवन पूर्ण होने के पश्चात पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
11. भवन के निर्माण के साथ समानुपातिक रूप से ई0डब्ल्यू0एस0/एल0आई0जी0 का निर्माण कराने की जिम्मेदारी आवेदकगण की होगी।
12. भवन की ऊँचाई 30.0 मीटर से अधिक है। इस लिये मैकेनिकल वेंटिलेशन की व्यवस्था करना होगा।
13. अपार्टमेंट एक्ट का अनुपालन करना होगा, तथा रेरा में पंजीकरण कराने की जिम्मेदारी पक्षगण की होगी।
14. निर्धारित अवधि में लेबर सेस शुल्क की अवशेष धनराशि जमा कराने की जिम्मेदारी आवेदकगण की होगी।
15. ई0 डब्ल्यू0 एस0/एल0 आई0 जी0 हेतु अनुबंध की गयी भूमि को तीन वर्ष में क्रय कर विभाग को सूचित करना होगा।

Signature
12/15

Signature
22/10/19